



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 7, 2019/वैशाख 17, 1941

No. 149]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7, 2019/VAISAKHA 17, 1941

भारतीय उपचर्या परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2019

भारतीय उपचर्या परिषद् (नर्स पंजीकरण एवं लक्ष्यानुसरण प्रणाली – एनआरटीएस) विनियम, 2019

फा.सं. 22-10/एनयूआईडी/2014-आईएनसी.—समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 15क और धारा 16(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय उपचर्या परिषद् (कार्य संचालन) विनियम, 2009 के विनियम संख्या 59 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन:—

- (1) ये विनियम भारतीय उपचर्या परिषद् (नर्स पंजीकरण एवं लक्ष्यानुसरण प्रणाली – एनआरटीएस) विनियम, 2019 कहलाएंगे।
- (2) ये विनियम इनकी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन विनियमों में जब तक संदर्भ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (1) 'अधिनियम' का आशय समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) से है।
- (2) 'परिषद्' का आशय अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय उपचर्या परिषद् से है।
- (3) 'एसएनआरसी' का आशय राज्य नर्स एवं मिडवाइव्स पंजीकरण परिषद् (जिस किसी भी नाम से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामांकित किया गया हो) से है।
- (4) 'आरएन एंड आरएम' का आशय पंजीकृत नर्स एवं पंजीकृत मिडवाइफ (आरएन एंड आरएम) से है जो एक ऐसे नर्स को दर्शाता है जिसने परिषद् द्वारा निर्धारित एवं मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्नातक (बीएससी नर्सिंग) अथवा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो, और किसी एसएनआरसी में पंजीकृत नर्स एवं पंजीकृत मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत हो।

- (5) 'आरएनएम' का आशय पंजीकृत सहायक नर्स मिडवाइफ से है जो एक ऐसे सहायक नर्स मिडवाइफ को दर्शाता है जिसने परिषद् द्वारा निर्धारित एवं मान्यता प्राप्त सहायक नर्स मिडवाइफरी (एनएम) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो, और किसी एसएनआरसी में पंजीकृत सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत हो।
- (6) 'आरएलएचवी' का आशय पंजीकृत महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका से है जो एक ऐसी महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका को दर्शाता है जिसने परिषद् द्वारा निर्धारित एवं मान्यता प्राप्त महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका (एलएचवी) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और किसी एसएनआरसी में पंजीकृत महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका के रूप में पंजीकृत हो।
- (7) 'भारतीय नर्स रजिस्टर' का आशय संबंधित एसएनआरसी में पंजीकृत नर्स, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के रजिस्टर से है, जिसे अधिनियम की धारा 15क के निर्दिष्टानुसार तैयार किया गया हो।
- (8) नर्स पंजीकरण एवं लक्ष्यानुसरण प्रणाली (एनआरटीएस) का आशय भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा विकसित की गई ऐसी प्रणाली से है जिसका सॉफ्टवेयर भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से विकसित किया गया है, और भारतीय नर्स रजिस्टर के रखरखाव और संचालन के उद्देश्य से एनआईसी द्वारा परिचरित (होस्ट) किया गया है। इसमें 'आधार' आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा पंजीकृत नर्स एवं पंजीकृत मिडवाइव्स (आरएन एंड आरएम)/ पंजीकृत सहायक नर्स मिडवाइव्स (आरएएनएम)/पंजीकृत महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं (आरएलएचवी) का विवरण संग्रह करने के लिए प्रमाणिक फॉर्म उपलब्ध है।
- (9) 'मूल उपचर्या परिषद्' का आशय संबंधित राज्य के एसएनआरसी से है जिसके अधिकार क्षेत्र में वह संस्थान स्थित है जहां से उम्मीदवार ने अधिनियम की धारा 10 के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त की है।
- (10) 'पारस्परिक पंजीकरण' का आशय ऐसे पंजीकरण से है जिसे किसी आरएन एंड आरएम/आरएएनएम/आरएलएचवी द्वारा किसी एक एसएनआरसी से दूसरे एसएनआरसी (जहां वह अभ्यास करना चाहती/चाहता है) में जाने पर कराया जाना चाहिए।
- (11) 'सीएनई' का आशय आरएन एंड आरएम/आरएएनएम/आरएलएचवी द्वारा प्रत्येक 5 (पांच) वर्ष के पश्चात पंजीकरण के नवीकरण के लिए अनिवार्यतः प्राप्त की गई सतत् नर्सिंग शिक्षा।
3. **भारतीय नर्स रजिस्टर:**— अधिनियम की धारा 15क के तहत उल्लिखित भारतीय नर्स रजिस्टर में प्रत्येक आरएन एंड आरएम, आरएएनएम और आरएलएचवी का नाम, उसकी योग्यता और अन्य विवरण शामिल होंगे।
4. **सजीव रजिस्टर का रखरखाव:**— परिषद्, भारतीय नर्स रजिस्टर का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से/साकार रूप में अनुरक्षण करेगी और इस उद्देश्य के लिए सभी नर्सिंग कर्मियों का पंजीकरण करेगी और सजीव रजिस्टर के अनुरक्षण के अधिदेश की प्राप्ति के लिए उनके विवरण का मिलान करेगी। पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है:
- (1) सभी पंजीकृत नर्स यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके नाम एसएनआरसी द्वारा बनाई गई एनआरटीएस योजना के अनुसार परिषद् अथवा संबंधित एसएनआरसी द्वारा स्थापित निकटवर्ती एजेंसी (स्वास्थ्य/नर्सिंग शिक्षण संस्थानों/प्रतिष्ठानों) में, जैसा भी मामला हो, विधिवत दर्ज कर लिए गए हैं।
- (2) विवरण, 'आधार' आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ऑनलाइन सद्य अनुक्रिया के आधार पर दर्ज और अपलोड किए जाएंगे।
- (3) इस प्रयोजन के लिए पंजीकृत नर्स को प्रमाणिकता सत्यापित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र जिससे जन्मतिथि प्रमाणित हो सके, नर्सिंग शैक्षिक योग्यता के प्रमाणपत्र और एसएनआरसी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे, और अपलोड करने के लिए सभी प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई छवियां प्रस्तुत करनी होंगी।
- (4) एसएनआरसी द्वारा विधिवत सत्यापन और अनुमोदन के पश्चात और भारतीय नर्स रजिस्टर में पंजीकरण होने पर, संबंधित नर्सों को एक नर्स विशिष्ट पहचान पत्र (एनयूआईडी) और नर्स एंड मिडवाइफ रजिस्टर पासबुक प्रदान की जाएगी।
5. **मूल पंजीकरण:**— निर्धारित मान्यता प्राप्त नर्सिंग योग्यता उत्तीर्ण करने वाले नए योग्य कर्मियों का एनआरटीएस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण संबंधित एसएनआरसी द्वारा किया जाएगा। सभी एसएनआरसी अनुसूची में दर्शाए अनुसार एक समान पंजीकरण शुल्क लेंगे।
6. **पारस्परिक/स्थानांतरण पंजीकरण:**—
- (1) पंजीकरण का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने के लिए, पंजीकृत नर्स एनआरटीएस पोर्टल में लॉगइन कर ऑनलाइन आवेदन करेंगे और पंजीकरण के ऐसे स्थानांतरण के कारण बताएंगे।

- (2) पुरानी एसएनआरसी द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने पर, नई एसएनआरसी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और सत्यापन के बाद पूर्व पंजीकरण संख्या पर ही स्थानांतरण औपचारिकताओं को पूरा करेगी।
- (3) सभी एसएनआरसी अनुसूची में दर्शाए अनुसार एक समान पारस्परिक पंजीकरण शुल्क लेंगे। यदि पूर्व एसएनआरसी क्षेत्राधिकार छोड़ने के बाद तीन महीने के भीतर पारस्परिक पंजीकरण नहीं किया गया है, तो एसएनआरसी आवेदक से अनुसूची में दर्शाए अनुसार जुर्माना भी वसूल करेगा।
- 7. पंजीकरण/लाइसेंस का आवधिक नवीकरण:-**
- (1) सजीव रजिस्टर अनुरक्षित करने के लिए सभी पंजीकृत नर्सिंग कर्मियों को हर 5 वर्ष के बाद पंजीकरण को नवीनीकृत करना होगा।
- (2) परिषद् द्वारा जारी किए गए सीएनई दिशानिर्देशों के संदर्भ में साथ यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि नर्सिंग कर्मियों को नवीनतम ज्ञान और कौशल से अद्यतनीकरण किया जाए, पंजीकरण/लाइसेंस का नवीकरण 150 घंटे सीएनई से जुड़ा हुआ है।
- (3) पंजीकरण के नवीकरण के लिए, पंजीकृत नर्स एनआरटीएस पोर्टल में लॉगइन कर ऑनलाइन आवेदन करेंगे और सीएनई प्रमाणपत्रों को इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट अपेक्षित शुल्क के साथ अपलोड करेंगे।
- (4) सभी एसएनआरसी अनुसूची में दर्शाए अनुसार एक समान पंजीकरण नवीकरण शुल्क लेंगे। यदि नवीकरण के लिए आवेदन पूर्व पंजीकरण के पश्चात पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के छः माह बाद प्राप्त होता है, तो एसएनआरसी अनुसूची में दर्शाए अनुसार नवीकरण शुल्क के अलावा जुर्माना भी वसूल करेगा।
- 8. अतिरिक्त/उच्च योग्यता:-**
- (1) मान्यता प्राप्त उच्च नर्सिंग योग्यता हासिल करने वाले नर्स, अपनी उच्च योग्यता को एनआरटीएस पोर्टल पर अपेक्षित दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन मोड से अद्यतनीकृत कर सकते हैं।
- (2) सभी एसएनआरसी अनुसूची में दर्शाए अनुसार एक समान अतिरिक्त योग्यता पंजीकरण शुल्क लेंगे।
- 9. जुर्माना:-** उपरोक्त विनियमों के किसी भी प्रावधान का पालन न करने की स्थिति में, जैसा कि अनुसूची में निर्धारित किया गया है, जुर्माना लगाया जाएगा।

अनुसूची

क) फीस

- (1) पंजीकरण शुल्क:- एएनएम के लिए रु. 1000/- और जीएनएम/बीएससी के लिए रु. 2000/- पैराग्राफ 5
- (2) पारस्परिक पंजीकरण शुल्क:- रु. 1000/- पैरा 6(3)
- (3) पंजीकरण नवीकरण शुल्क:- रु. 500/- पैरा 7(4)
- (4) अतिरिक्त/उच्च योग्यता पंजीकरण शुल्क:- रु. 1000/- पैरा 8(2)

ख) जुर्माना

- (1) पारस्परिक पंजीकरण में 3 माह से अधिक विलंब के लिए:- रु. 5000/- पैरा 6(3)
- (2) पंजीकरण के नवीकरण में 6 माह से अधिक विलंब के लिए:- रु. 5000/- पैरा 7(4)

डा. टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./33/19]

INDIAN NURSING COUNCIL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th May, 2019

Indian Nursing Council (Nurses Registration & Tracking System) Regulations, 2019

F. No. 22-10/NUID/2014-INC.—In exercise of the powers conferred by Section 15A and Sub-section (1) of Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), as amended from time to time and in supersession of Regulation 59 of Indian Nursing Council (Conduct of Business) Regulations 2009, the Indian Nursing Council here by makes the following regulations, namely:-

1. Short Title and commencement.—

- i) These regulations may be called the Indian Nursing Council (Nurses Registration & Tracking System) Regulations, 2019.
- ii) These Regulations shall come into force on the date of notification of the same.

2. Definitions.—In these Regulations, unless the context otherwise requires,

- i) ‘the Act’ means the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947) as amended from time to time;
- ii) ‘the Council’ means the Indian Nursing Council constituted under the Act;
- iii) ‘SNRC’ means the State Nurse and Midwives Registration Council, by whichever name constituted, by the respective State Governments.
- iv) ‘RN & RM’ means a Registered Nurse and Registered Midwife (RN & RM) and denotes a nurse who has completed successfully, recognised Bachelor of Nursing (B.Sc. Nursing) or Diploma in General Nursing and Midwifery (GNM) course, as prescribed by the Council and is registered in a SNRC as Registered Nurse and Registered Midwife.
- v) ‘RANM’ means a Registered Auxiliary Nurse Midwife and denotes an Auxiliary Nurse Midwife who has completed successfully, recognised Auxiliary Nurse Midwifery (ANM) course as prescribed by the Council and is registered in a SNRC as Registered Auxiliary Nurse Midwife.
- vi) ‘RLHV’ means a Registered Lady Health Visitor and denotes a Lady Health Visitor who has completed successfully, recognised Lady Health Visitor course (LHV) as prescribed by the Council and is registered in a SNRC as Registered Lady Health Visitor.
- vii) The ‘Indian Nurses Register’ means the register of Nurses, Midwives, Auxiliary Nurses Midwives and Health Visitors registered in respective SNRCs as referred in Section 15-A of the Act.
- viii) Nurses Registration & Tracking System (NRTS) means a system developed by Indian Nursing Council and software developed in association with National Informatics Centre (NIC), Government of India, and hosted by NIC for the purpose of maintenance and operation of the Indian Nurses Register. It has standardised forms for collection of the data of Registered Nurse and Registered Midwife (RN & RM)/ Registered Auxiliary Nurse Midwife (RANM)/Registered Lady Health Visitor (RLHV) upon Aadhar based biometric authentication.
- ix) ‘The Parent Nursing Council’ means the SNRC of the concerned State under the jurisdiction of which the institution, from where the candidate has obtained recognised qualification under Section 10 of Act, is situated.

- x) 'Reciprocal Registration' means the registration which should be done by a RN & RM/ RANM / RLHV when she/ he moves from one SNRC to another SNRC where she/he intends to practice.
- xi) 'CNE' means Continuing Nursing Education to be compulsorily undergone by the RN & RM/ RANM / RLHV for renewal of registration after every 5 (five) years.
- 3. Indian Nurses Register.**—Indian Nurses Register referred under Section 15A of the Act shall include the name of each RN&RM, RANM and RLHV along with his/her qualifications and other details.
- 4. Maintenance of Live Register.**—The Council shall maintain the Indian Nurses Register in electronic/physical form and for this purpose enrol all categories of nursing personnel and collate the data in order to achieve the mandate of maintaining the Live Register. The process of enrolment is as follows:
- i) All Registered Nurses would ensure that their names are duly captured in the nearest available agency (health/nursing educational institutions/establishments) set up by the Council or the concerned SNRC as the case may be as per the NRTS plan by SNRC.
- ii) Data would be entered and uploaded after Aadhar based bio-metric authentication in a online real time basis.
- iii) For this purpose the Registered Nurse would be required to submit the requisite documents such as Class X certificate or equivalent certificate authenticating the date of birth, certificates of nursing educational qualifications and SNRC registration certificate only for verification and for uploading the scanned images of certificates.
- iv) After due verifications and approval by the SNRC and on being enrolled in Indian Nurses Register, the concerned Nurses shall be provided with a Nurse Unique Identity Card (NUID) and Nurse & Midwife Register Passbook.
- 5. Primary Registration.**—As regards newly qualified personnel with prescribed recognized nursing qualifications the Registration shall be done by the concerned SNRC on the NRTS platform. **All the SNRCs shall charge a uniform Registration Fee as indicated in the Schedule.**
- 6. Reciprocal/Transfer of Registration.**—
- i) For transfer of registration from one State to another State, the registered nurse would login and apply online in NRTS portal and state reasons for such transfer of registration.
- ii) On issue of NOC by the previous SNRC online, new SNRC after biometric authentication and verification shall complete transfer formalities with the same registration number as before
- iii) **All the SNRCs shall charge a uniform Reciprocal Registration Fee as indicated in the Schedule. SNRCs shall also levy a penalty as indicated in the schedule,** from an applicant if the reciprocal registration has not been done within three months after leaving the earlier SNRC jurisdiction.
- 7. Periodic Renewal of Registration /License.**—
- i) In order to maintain *Live-Register* all registered nursing personnel need to renew registration after every 5 years.
- ii) Renewal of Registration /License is linked with 150 hours of CNE in terms of CNE guidelines issued by the Council with object of ensuring that the nursing personnel are updated with latest knowledge and skills.
- iii) For renewal of registration, the registered nurse would login and apply online in NRTS portal and upload the CNE certificates along with requisite fee mentioned in the schedule to this regulation.

- iv) **All the SNRCs shall charge a uniform Renewal Registration Fee as indicated in the Schedule. In case the application for renewal is received after six months of expiry of the five year period after earlier registration, a penalty shall be charged in addition to the renewal fee as indicated in the Schedule.**

8. Additional/Higher Qualification.—

- (i) NRTS portal allows nurses who have acquired recognized higher nursing qualification to update their higher qualification in an online mode along with requisite documents and prescribed fees.
- (ii) **All the SNRCs shall charge a uniform fee for Registration of Additional qualification as indicated in the Schedule.**

- 9. Penalties.—**In case of non-adherence of any of the provisions of above regulations penalties as stipulated in the Schedule will be imposed.

SCHEDULE

A. Fees

- (i) Registration fee:- Rs. 1000/- for ANM and Rs. 2000/- for GNM/BSc.-- Para 5
- (ii) Reciprocal Registration fee:- Rs. 1000/- Para 6 (iii)
- (iii) Renewal of Registration fee:- Rs. 500/- Para 7 (iv)
- (iv) Additional/Higher Qualification Registration fee:- Rs. 1000/- Para 8 (ii)

B. Penalties

- (i) Delay in Reciprocal of Registration for more than 3 months: Rs. 5000/- Para 6 (iii)
- (ii) Delay in Renewal of Registration for more than 6 months: Rs. 5000/- Para 7 (iv)

DR. T. DILIP KUMAR, President]

[ADVT.-III/4/Exty/33/19]